



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124796

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3358 वर्ष 2026

अनिल गौड़

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : रज्जन सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. सूची पुनरीक्षित की गई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता मौजूद हैं। हालाँकि, नोटिस मिलने के बावजूद प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री रज्जन सिंह यादव और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड देखा गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें गोरखपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 6149/2025 (मुकदमा अपराध संख्या 240/2025 से संबंधित) में 27.01.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला बी.एन.एस. की धाराओं 69, 318(4), 115(2), 352, 351(3) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)डी, 3(1)ध और 3(2)व के तहत थाना हरपुर बुढ़हट, जिला गोरखपुर में दर्ज है; इस आदेश के तहत अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि पीड़िता ने खुद यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। उसका कहना है कि वह लगभग 35 साल की है और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है। वह अपने पति, गुड्डू पासवान से लगभग नौ साल से अलग रह रही है। वह सहजनवा में किराए के कमरे में रहकर काम करती थी और सहजनवा और कुरसा स्थित अपने घर के बीच नियमित रूप से आती-जाती थी। आगे यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी अनिल गोंड, जो कुरसा गांव, हरपुर बुढ़हट का निवासी है, ने शादी का झांसा देकर पिछले सात वर्षों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने शादी का झूठा बहाना बनाकर संबंध जारी रखा और जब उसने विरोध किया या आपत्ति जताई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और मामला दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी आरोप है कि आरोपी ने उसे अपना भरोसा दिलाया और फिर उसके गहने लेकर भाग गया।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता महिला बालिग है, *अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह पिछले नौ सालों से अपने पति से अलग रह रही है। उनका यह भी तर्क है कि एफ.आई.आर. के अनुसार, शिकायतकर्ता ने माना है कि वह पिछले सात सालों से अपीलकर्ता के साथ आपसी सहमति से रिश्ते में थी और शादी के कथित झूठे वादे के आधार पर उनके बीच शारीरिक संबंध बनते रहे। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि एफ.आई.आर. में अपीलकर्ता द्वारा किसी जाति-आधारित टिप्पणी या अपमान का कोई आरोप या ज़िक्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 06.12.2025 से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने का भरोसा देता है। इसलिए, अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ता की ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया।

7. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और एफ.आई.आर. के साथ-साथ बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखने के बाद, यह पाया गया कि पीड़िता ने खुद माना है कि वह पिछले सात सालों से अपीलकर्ता के साथ रिश्ते में थी, जो पास के ही गाँव का रहने वाला है। उसने कई बार अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया, लेकिन उसने कभी भी कोई शोर नहीं मचाया या विरोध नहीं किया। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि यह अपराध 6 से 7 साल पहले का बताया जा रहा है, और उस समय बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने जैसा कोई अपराध कानून में नहीं था; साथ ही, वह अपने पति से अलग रह रही है और तीन बच्चों की माँ है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना और आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, अपीलकर्ता द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने और जमानत देने के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुँचा है कि अपीलकर्ता जमानत पाने का हकदार है।

9. नतीजतन, अपील सफल होती है और इसे मंजूर किया जाता है। गोरखपुर के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या 6149/2025 में 27.01.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

10. अपीलकर्ता-अनिल गौड़ को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर, ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या के मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करें:

(i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(ii) अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अपील करने वाला व्यक्ति विचारण न्यायालय के सामने एक शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर, जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों, कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा। ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(v) अगर अपील करने वाला व्यक्ति विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए बी.एन.एस.एस.. की धारा 84 के तहत कोई घोषणा जारी की जाती है और वह उस घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय को कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आज़ादी होगी।

(vi) अपील करने वाले व्यक्ति को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा की शुरुआत, (b) आरोप तय करना और (c) बी.एन.एस.एस.. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि किसी ऐसी तारीख पर उसकी गैर-मौजूदगी जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है।

(vii) विचारण न्यायालय अपील करने वाले व्यक्ति की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी सबूत की जांच करेगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित न्यायालय अपीलकर्ता की ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

2 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।